



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Date : 09.03.2023

Process of Refund from Subscribers' Pension Contribution Protection Account (SPCPA)

In cases wherever, the subscribers under NPS-Lite/Swavalamban Scheme have deposited in the past the contribution to their respective Aggregators (PoPs) as listed in Annexure 1, however the said contribution was not uploaded /credited to their respective PRAN or PRAN was not generated, then in such cases the subscriber/claimant/depositors may approach PFRDA directly or through these Aggregators (PoPs) to submit their claim for refund.

The detailed process of claiming refund along with the claim format is as under:

- (i). The subscriber/claimant/depositor may approach PFRDA directly or through the intermediary to submit their claim for refund as per the prescribed format, along with necessary supporting documents within twenty-five (25) years from the date of transfer of unclaimed deposits to the Account by the intermediary.
- (ii). Post receipt of the claim by PFRDA, PFRDA shall scrutinize the documents and legitimacy of the claim as per the available records in the custody of PFRDA. However, in case of any discrepancy in the documents, PFRDA may refer the claim to the intermediary for verification.
- (iii). In case the claim request is received by the Aggregator, the Aggregator shall forward the claim to PFRDA, along with the supporting documents.
- (iv). Post scrutiny of the subscriber's / claimant's / depositor's claim, PFRDA may accord the necessary approval for a refund from the Account.

(v). The subscriber/claimant/depositor shall be refunded the deposited contribution plus the compensation recovered from the intermediary if any. Further, interest shall be paid at the rate determined by the Authority, for the period in which the funds are lying in the Account.

(vi). The refund amount shall be directly credited to the subscriber's / claimant's / depositor's saving bank account

-SD-

Gurminder Kaur
General Manager

Claim Format

(for claiming contributions from Subscribers' Pension Contribution Protection Account)

To

The General Manager

Supervision Department-PoPs & RAs

Pension Fund Regulatory and Development Authority,

B-14/Chhatrapati Shivaji Bhawan,

Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Subject: Request for refund of contributions under NPS-Lite/Swavalamban Scheme.

I hereby confirm that I have deposited the contributions under NPS Lite/Swavalamban Scheme on...dd/mm/yy.....to(Aggregators/PoP name) and no PRAN has been generated by the Aggregator.

or

I hereby confirm that I have deposited the contributions under NPS Lite/Swavalamban Scheme on...dd/mm/yy.....to(Aggregators/PoP name) and the same was not deposited into my PRAN.

(strike through which is not applicable)

In this regard, I am providing the following information and enclosing the copies of the documents required to enable the refund:

1	Name of the Subscriber	
2	PRAN number (self-attested copy)/ PRAN not available	

	(If PRAN not available, the self-attested Identity and address proof to be enclosed)	
3	Aggregators (PoPs) Name:	
4	Amount of contribution in Rs	
5	Acknowledgment receipt (self-attested copy)	
6	Mobile number	
7	Email Id of subscriber	
8	Copy of the cancelled cheque leaf of the bank with Subscribers Name, Account number and IFSC code where the claim amount shall be credited through electronic mode.	

Signature of the Subscriber/claimant/depositor

Encl : as above.

Annexure 1

List of Aggregators (PoPs), who have transferred the unreconciled amount along with applicable compensation amount to SPCPA is as under :

Slno	Aggregator (PoP) Name	Date of credit
1	UTI Infrastructure Technology and Services Limited	20.12.2022 and 23.12 2022
2	IL&FS Limited	16.09.2022
3	Saptrishi Consultancy Services Limited	23.12.2022
4	India Infoline Limited	21.10.2022



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

दिनांक : 09.03.2023

अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाते (SPCPA) से धनवापसी की प्रक्रिया

ऐसे मामले, जिनमें एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं ने अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध एग्रीगेटर्स (PoP) को अंशदान जमा किया था, पर अंशदान उनके PRAN में अपलोड/जमा नहीं किया गया या किसी कारणवश उनका PRAN सृजित नहीं हुआ था, तो ऐसे मामलों में अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता इन एग्रीगेटर्स (PoP) के माध्यम से या सीधे पीएफआरडीए से धनवापसी का दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

धनवापसी हेतु दावा (क्लेम) करने की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है (दावा (क्लेम) फॉर्म संलग्न है) :

(i) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता धनवापसी के लिए अपना दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में मध्यवर्ती के माध्यम से या सीधे पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं। इसकी समयसीमा मध्यवर्ती द्वारा खाते में अंतरित किए जाने की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों तक तय की गयी है।

(ii) दावा (क्लेम) प्राप्त होने के बाद, पीएफआरडीए के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दावे के दस्तावेजों और उसके वैधता की जांच की जाएगी। हालांकि, दस्तावेजों में कोई विसंगति होने पर, दावे के सत्यापन के लिए पीएफआरडीए द्वारा मध्यवर्ती को संदर्भित किया जा सकता है।

(iii) एग्रीगेटर द्वारा दावा (क्लेम) अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को अग्रेषित किया जाएगा।

(iv) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की जांच के बाद, पीएफआरडीए द्वारा उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

(v) अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को उनका जमा अंशदान और मध्यवर्ती से वसूली गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो तो, वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा, खाते में पड़े रहने की अवधि तक के लिए उस धन पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(vi) राशि का भुगतान सीधे अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में किया जाएगा।

-हस्ता.-

गुरमिंदर कौर

महाप्रबंधक

दावा (क्लेम) फॉर्म

(अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाते - SPCPA से अंशदान का दावा (क्लेम) करने हेतु)

सेवा में,

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग – PoP / RA

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण,

बी-14/छत्रपति शिवाजी भवन,

कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवरिया सराय, नई दिल्ली-110016

विषय : एनपीएस - लाइट/स्वावलंबन योजना के तहत अंशदान की वापसी हेतु निवेदन

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के तहत दिनांक dd/mm/yy को (एग्रीगेटर्स/PoP का नाम) में अंशदान जमा किया था तथा एग्रीगेटर द्वारा कोई PRAN सृजित नहीं किया गया था।

अथवा

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना के तहत दिनांक dd/mm/yy को (एग्रीगेटर्स/PoP का नाम) में अंशदान जमा किया था तथा इसे मेरे PRAN में जमा नहीं किया गया था।

(लागू न होने पर काट दें)

इस संबंध में, मैं निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान कर रहा हूं और धनवापसी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूं :

1	अभिदाता का नाम	
---	----------------	--

2	PRAN संख्या (स्व-सत्यापित प्रति) / PRAN उपलब्ध नहीं है (यदि PRAN उपलब्ध नहीं है, तो पहचान और पते का स्व-सत्यापित प्रमाण संलग्न करें)	
3	एग्रीगेटर्स (PoP) का नाम :	
4	अंशदान की राशि (रुपये में)	
5	पावती रसीद (स्व-सत्यापित प्रति)	
6	मोबाइल नंबर	
7	ग्राहक की ईमेल आईडी	
8	अभिदाता के नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित उस बैंक के रद्द चेक लीफ की प्रति जिसमें दावा (क्लेम) की गयी राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा की जाएगी।	

अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्न : यथोक्त

अनुलग्नक 1

असंगत राशि को लागू क्षतिपूर्ति के साथ SPCPA में हस्तांतरित करने वाले एग्रीगेटर्स (PoP) की सूची निम्नानुसार है :

क्रम सं	एग्रीगेटर (PoP) का नाम	जमा करने की तिथि
1	UTI Infrastructure Technology and Services Limited	20.12.2022 तथा 23.12 2022
2	IL&FS Limited	16.09.2022
3	Saptrishi Consultancy Services Limited	23.12.2022
4	India Infoline Limited	21.10.2022